राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 42/2019
दायर दिनांक– 05.12.2019
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00120
निर्णय दिनांक– 27.11.2025

उनवानी–

1. देवकरण पुत्र काना दत्तक पुत्र घीसा
2. नाथूलाल पुत्र मोहनराम
3. केसर पत्नि काना
4. झमकू पत्नि घीसा
5. लाली पुत्री मोहनराम
6. शंकर पुत्र मोहनराम
7. शांति देवी पत्नि मोहनराम
8. सन्जू पुत्री मोहनराम

सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ .....वादीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र रामचन्द्र
2. रामदेव पुत्र रामचन्द्र
3. नोरत पुत्र रामचन्द्र
4. श्याणी पुत्री रामचन्द्र

   सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़

5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
6. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ .....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 वादीगण
2 श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी अधि0प्रतिवादी सं. 2

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 से 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 1276, 1277, 1278, 1281 व 1293 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3103 है0 भूमि अवस्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका लगान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से जमा कराते है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य मौके पर मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का हिस्सेनुसार नाप–चौक कर बंटवारा किया हुआ है तथा मौके पर सभी अपने–अपने हिस्सेअनुसार काबिज चले आ रहे है तथा हिस्सेअनुसार मकानात व बाड़ा भी बना रखा है। राजस्व रिकार्ड में वाद वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य उक्त कृषि भूमि का मौके पर मय नींव, सींव बंटवारा हो रखा है किन्तु खाता संयुक्त होने से व लगान संयुक्त होने के कारण इनके मध्य आये दिन बुवाई–जुताई व लगान संयुक्त जमा कराने को लेकर [illegible] रहता है। दिनांक 02.12.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादअ[illegible] कृषि भूमि का आपसी सहमति से काबिजानुसार हिस्सेनुसार भूमि का बंटवारा करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण से लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो गये व सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया व एलानिया धमकिया दी कि वे बिना विधिवत बंटवारा [illegible]ये संयुक्त आराजी को करके रहेंगे। इसलिए उक्त कृषि भूमि का मौके पर काबिजअनुसार, हिस्सेअनुसार विभाजन किये जाने अलग खाता, खसरा, लगान कायम किये जाने हेतु वाद पेश किया गया है। वकील वादीगण की ओर से निवेदन है कि उक्त वाद वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

मध्य नींव, सींव, अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता, अलग खसरा, अलग लगान कायम किये जाने व राजस्व नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम किये जाने की बंटवारा की डिक्री बहक वादगीण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमावें एवं बाद विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, इस आशय आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उसके परिवारजन, सगे सम्बन्धी, नौकर चाकर, एजेन्ट आदि को पाबन्द फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में तनकियात कायम कर स्पष्ट की गयी। प्रकरण में वकील वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया गया जिस पर वादी संख्या 1 के बयान लिये गये। प्रकरण मे वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने का निवेदन किया। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बंद करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 2 की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में वर्णित हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर अलग खाता, अलग खसरा, अलग लगान कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग–उपयोग में बाधा उत्पन्न नही करे इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि चून्दड़ी–बटअनुसार हिस्से के अनुक्रम में यदि विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ से कमिश्नर रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में भूमि निम्नानुसार होगी –

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	देवकरण पुत्र घीसा हि0 1/2, झमकू पत्नि घीसा हि0 1/2 सर्वजाति कुम्हार सर्वनिवासी सा0 देह खातेदार	1276 1277 1278	0.2346 0.1051 0.0323	चाही ए गै0मु0चाह गै0मु0चाह
2	देवकरण पुत्र काना हि0 5/15, नाथूलाल, शंकरलाल पुत्रगण मोहनलाल हि0 बराबर 3/15, 7/30, शांति देवी पत्नि मोहनलाल हि0 1/15, संजू देवी, लाली पुत्रीया मोहनलाल हि0 1/15 हि0 ब0 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1281	0.4484	0.0375 बं–1 0.4109 चाही ए
3	बोदू , नोरत, रामदेव पुत्रगण रामचन्द्र हि0 बराबर 5/16, श्याणी पुत्री रामचन्द्र हि0 1/16 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार	1281/2 1281/4	0.0180 0.4304	बं0–1 चाही ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

बदस्तूर जमाबन्दी	1293 1281/1	0.0323 0.0092	गै0मु0चाह वं–1

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व खसरा अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested